ई-मेल/सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या- 1/2026/I/1195946/2026-02-5099/1/2021

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।	2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।	4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- I.A.S. संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)	

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 06.01.2026

विषयः- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली के नियम-16(2) के अंतर्गत वर्ष 2025 (दिनांक 01-01-2026) के अचल सम्पति विवरण (IPR) Online Submit किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र संख्या-DO No. 6(2)/2025-EO (PR) दिनांक 23-12-2025 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम-16(2) के अंतर्गत वर्ष 2025 का वार्षिक अचल संपति विवरण (IPR) (दिनांक 01-01-2026 की स्थिति में) 31 जनवरी, 2026 तक ऑनलाईन दाखिल करते हुए e-Signing से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् हैः-

"----------This online Module will close automatically after the prescribed timeline i.e. 31st January, 2026 in respect of the calendar year 2025. The officers need not send a hard copy either to their cadre or to DoPT. Further, it has been noticed in some cases that the officers fill their details online on the IPR SPARROW Portal but inadvertently overlook e-Signing the same. Therefore, the IAS officers may be suitably sensitized to complete the process by e-Signing the IPR. Further, the SPARROW accounts of new IAS recruits/inductees may be timely activated so that they can file their IPRs online.

In view of aforesaid background, I shall be grateful if you would issue necessary instructions to all IAS officers working in your Government and its departments, to ensure that they submit their IPRs for the year 2025 (as on 01-01-2026) online in the IPR Module, within the prescribed timeline i.e. form 1st **January, 2026 to 31st January, 2026.**

2- भारत सरकार द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि (IPR) का समय से दाखिल किया जाना न केवल नियमों के अनुपालन हेतु आवश्यक है, बल्कि वेतन मैट्रिक्स के अगले स्तर में विचार हेतु भी अनिवार्य शर्त है। इसके अतिरिक्त मामले में अन्य संगत निर्देश भी समय-समय पर डी0ओ0पी0टी0, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्गत किये गये हैं।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उक्त निर्देश दिनांक 23-12-2025 (प्रति संलग्न) का संज्ञान लेते हुए वर्ष 2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(दिनांक 01-01-2026) का अपना अचल सम्पत्ति विवरण (IPR) Online (By e-Signing the IPR) निर्धारित समयावधि (**31 जनवरी, 2026 तक**) के अन्दर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दाखिल किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने पत्र DO No. 6(2)/2025-EO (PR) दिनांक 23-12-2025 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर (shashnadesh.com पर अपलोड करने हेतु)।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

tp/hsnds.pgo.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ई-मेल/सर्वोच्य प्राथमिकता/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

विजय कुमार

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।	2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।	4 - समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0
5- I.A.S. संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)	

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांक:06-01-2026

विषयः- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियंमावली के नियम-16(2) के अन्तर्गत वर्ष 2025 (दिनांक 01.01.2026) के अचल सम्पत्ति विवरण (IPR) Online Submit किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र संख्या-DO No. 6(2)/2025-EO(PR) दिनांक 23.12.2025 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम-16(2) के अंतर्गत वर्ष 2025 का वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (IPR) (दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में) 31 जनवरी, 2026 तक ऑनलाईन दाखिल करते हुए e-Sighning से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है :-

''----------This online Module will close automatically after the prescribed timeline i.e. 31st January, 2026 in respect of the calendar year 2025. The officers need not send a hard copy either to their cadre or to DoPT. Further, it has been noticed in some cases that the officers fill their details online on the IPR SPARROW Portal but inadvertently overlook e-Signing the same. Therefore, the IAS officers may be suitably sensitized to complete the process by e-Signing the IPR. Further, the SPARROW accounts of new IAS recruits/inductees may be timely activated so that they can file their IPRs online.

In view of aforesaid background, I shall be grateful if you would issue necessary instructions to all IAS officers working in your Government and its departments, to ensure that they submit their IPRs for the year 2025 (as on 01.01.2026) online in the IPR Module, within the prescribed timeline i.e. from **1st January, 2026 to 31st January, 2026.**

2- भारत सरकार द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि (IPR) का समय से दाखिल किया

जाना न केवल नियमों के अनुपालन हेतु आवश्यक है, बल्कि वेतन मैट्रिक्स के अगले स्तर में विचार हेतु भी अनिवार्य शर्त है। इसके अतिरिक्त मामले में अन्य संगत निर्देश भी समय समय पर डी0ओ0पी0टी0, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्गत किये गये हैं।

3 - अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उक्त निर्देश दिनांक 23.12.2025 (प्रति संलग्न) का संज्ञान लेते हुए वर्ष 2025 (दिनांक 01.01.2026) का अपना अचल सम्पत्ति विवरण (IPR) Online (By e-Sighning the IPR) निर्धारित समयावधि (**31 जनवरी, 2026** तक) के अन्दर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दाखिल किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by
VIJAY KUMAR
Date: 06-01-2026
10:25:1
(विजय कुमार)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने पत्र DO No. 6(2)/2025-EO(PR) दिनांक 23.12.2025 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर(shashnadesh.com पर अपलोड करने हेतु)
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

मनीषा सक्सेना, भा.प्र.से.
Manisha Saxena, IAS
स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव
Establishment Officer &
Additional Secretary

सत्यमेव जयते

NO.46/09/MSG/2025

भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
Government Of India
Department of Personnel & Training
Ministry of Personnel, Public
Grievances and Pensions

DO No. 6(2)/2025-EO(PR)
Dated, the December, 2025

Dear Ma'am / Sir,

As you are aware, in terms of Rule 16(2) of AIS (Conduct) Rules, 1968 and the instructions issued vide OMs dated 16.02.1960 and 04.01.1994 under this Rule, every member of the Indian Administrative Service (IAS) is required to submit annual Immovable Property Return (IPR) by 31st January of the next year. Failure on part of the members of the Service to comply with the requirements of the aforesaid provisions constitutes good and sufficient reason for, inter-alia, institution of disciplinary proceedings against them vide this Department's OM No.104/33/2005-AVD-I dated 29.10.2007 and 07.09.2011. Further, vide notification dated 30.12.2021, Rule 3(1) of IAS (Pay) Rules, 2016 has been amended to make timely filing of IPR mandatory for being considered for appointment to the next level of pay matrix.

This Department had introduced online filing of IPR in respect of IAS officers w.e.f. 1st January, 2017 through the SPARROW Module. It is indeed a matter of immense satisfaction that the officers are submitting their IPR either electronically or uploading scanned copy of the manually filled-in IPR, over the years.

This online Module will close automatically after the prescribed timeline i.e. 31st January, 2026 in respect of the calendar year 2025. The officers need not send a hard copy either to their Cadre or to DoPT. Further, it has been noticed in some cases that the officers fill their details online on the IPR SPARROW Portal but inadvertently overlook eSigning the same. Therefore, the IAS officers may be suitably sensitized to complete the process by eSigning the IPR. Further, the SPARROW accounts of new IAS recruits/inductees may be timely activated so that they can file their IPRs online.

In view of aforesaid background, I shall be grateful if you would issue necessary instructions to all IAS officers working in your Government and its departments, to ensure that they submit their IPRs for the year 2025 (as on 01.01.2026) online in the IPR Module, within the prescribed timeline i.e. from 1st January, 2026 to 31st January, 2026.

With warm regards,

Yours Sincerely,

(Manisha Saxena)

Chief Secretaries of the States
(As per standard list)

कमरा नं. 31039, कर्तव्य भवन–3, नई दिल्ली–110001, Room No. 31039, Kartavya Bhavan-3, New Delhi - 110001
टेली / Tel.: 011-24010404, 011-24010411 E-mail : eo@nic.in Website : www.dopt.gov.in